

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.3508  
दिनांक 16 मार्च, 2020

सीएनजी/पीएनजी आपूर्ति

3508. डॉ. चन्द्र सेन जादौन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के वर्तमान वर्ष के लिए सभी क्षेत्रों में पेट्रोनेट एलएनजी/सीएनजी उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल कितने जिले हैं जिनके लिए सीएनजी/पीएनजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले को उक्त योजना के तहत शामिल किए जाने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसी योजना के कब तक शुरू होने और पूरी होने की संभावना है?

उत्तर  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ) : पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के विकास और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ-साथ सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन उपलब्ध करवाना और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना एक प्राधिकृत कंपनी द्वारा नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है। पीएनजीआरबी ने देश के 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनमें फैजाबाद जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में 66 जिलों को कवर करते हुए 37 जीएज शामिल हैं, में 400 से अधिक जिलों को कवर करते हुए पूरे देश में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु 230 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है। पीएनजीआरबी द्वारा 9वें सीजीडी बोली दौर के तहत फैजाबाद और सल्तानपुर जिला जीए में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु ग्रीन गैस लमटेड को प्राधिकृत किया गया है और नेटवर्क विकास का कार्य न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

\*\*\*\*\*